FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) ब्यावर मुकाम

नारणाराम बनाम भंवरलाल वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन नं. 119/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/6/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री जगदीश शोडाला ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21/07/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) ब्यावर	
21/07/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील हुआ प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधि० दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 04/08/2020 को पेश हो। [initials]	
04/08/2020	अधिवक्तागण आज रैफरेन्स में है इसलिए उपस्थित नहीं हुए। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 15/09/2020 को पेश हो। [initials] //	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 17:51:13 IST
Reason: SelfAttested

वाद / 2020 /

15/09/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बाद सूचना अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5:45 PM पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षियों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत पास-पास आये हुए हैं। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मेड़ें व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं। जिससे प्रार्थी को अपने खेत के रकबे का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के रकबे को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के रकबे का सही ज्ञान करने हेतु पैमाइशबन्दी करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पैमाइशबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाइशबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाइशबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू०अभि० निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की पैमाइश-बन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमाकराकर करें पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर के कम से दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 17:51:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

ांक / वाद / 2020 / 639 दिनांकः– 15/09/2020

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

1. नारणाराम पुत्र भीयाराम जाति दर्जी निवासी सऊओं की ढ़ाणी अकदड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. भंवराराम पुत्र मुलाराम 14 वगैरा जाति दर्जी सऊओं की ढ़ाणी अकदड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या ...119... / 20

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा सऊओं की ढ़ाणी पटवार हल्का अकदड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर क्रं.स. 1301 / 1188, 1208 / 1075 रकबा क्रं.स. 39.05, 12.05 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 640 to 644 दिनांकः– 15/09/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी अकदडा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री नारणाराम
4. विप्रार्थीगण भंवराराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु / नागाणा ।

Sd/-

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 17:31:13 IST
Reason: SelfAttested